राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
5, शामनाथमार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 34 राजस्व विभाग

दिनांक 08.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम : मान्नीय विधायक श्री जरनैल सिंह जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	राजस्व विभाग में अफगान शरणार्थियों के भारतीय नागरिकता के लिए कितने आवेदन लंबित है,	लगभग 3513 मामले लंबित है।
ख	ये आवेदन कितने वर्षो से लंबित है ,	पश्चिम जिले में लगभग 10–15 वर्षो, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी जिले में लगभग एक वर्ष तथा दक्षिण पश्चिमी जिले में लगभग 08 से 09 वर्षो से लंबित है।
ग	क्या यह सत्य है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का कोई आदेश सं.3022 दि.23 दिसंबर 2016 प्राप्त हुआ था,	जी हाँ।
घ	इस आदेश के बाद कितने आवेदकों को नागरिकता दी गयी है, और	जिला पश्चिमी जिले के अर्न्तगत 23.12.2016 के पश्चात गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए 12 नागरिकता प्रमाण पत्र आवेदकों को दिए गए है जो पहले से गृहमंत्रालय में अंतिम प्रकिया में थे परन्तु स्पष्टीकरण लंबित होने की वजह से अभी तक किसी भी आवेदक को उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत इस कार्यालय से नागरिकता प्रदान नहीं की है। दक्षिण पूर्व में 06 आवेदकों को भरतीय नागरिकता दी गई और एक मामला नागरिकता प्रदान करनवाने हेतु गृह विभाग को भेजा गया है।
ड.	शेष आवेदकों को कब तक नागरिकता दे दी जाएगी ?	इस संबन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गए ऑनलाइन पोर्टल के एक्सेस/ उनसे स्पष्टीकरण मिलने के उपरांत ही इस विभाग द्वारा शेष आवेदकों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

3/8/17

(सी. एस. यादव)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी(मुख्यालय)

C. S. YADAV
Sub Divisional Magistrate (HQ)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54